Fax/Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019......1010..........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
दरभंगा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, नालन्दा, सुपौल एवं शेखपुरा

पटना, दिनांक : 06-03-2020

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– CFMS Allotment Order No. ...10545..... Date ..25/02/2020......

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में आपके कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि मद में 10314072 / – (अनुलग्नक 'क') एवं वेतनादि से भिन्न मद में 2519864 / – (अनुलग्नक 'ख') अर्थात् कुल – 1,28,33,936 / – (एक करोड़ अठाईस लाख एक्कतीस हजार नौ सौ छतीस) रूपये मात्र का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019–20 में होने वाले व्यय हेतु की जाती है। बकाया वेतनादि एवं अन्य मद में भुगतान हेतु अलग से राशि आवंटित की जाएगी।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / इकाई कोड / माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड 40 – **2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।

6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. यह आवंटन बन्दोबस्त कार्यालय सुपौल के पत्रांक 22 दिनांक 10.01.2020, दरभंगा के पत्रांक 02 दिनांक 16.01.2020, पटना के पत्रांक 28 दिनांक 17.01.2020, बेगूसराय के पत्रांक 06 दिनांक 07.01.2020, खगड़िया के पत्रांक 01 दिनांक 09.01.2020 एवं नालन्दा के पत्रांक 501 दिनांक 24.12.2019 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। पूर्व में निर्गत आवंटन निदेशालय आवंटन पत्र संख्या 263 दिनांक 12.02.2020 एवं 264 दिनांक 12.02.2020 द्वारा आवंटित राशि के उपरान्त आवंटन अधियाचना के फलस्वरूप अवशेष राशि के विरूद्व निर्गत किया जा रहा है।

अनुलग्नक :– ('क' एवं 'ख') तथा

CFMS Allotment Order No. 10545 Date 25/02/2020

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019.1010 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– **(अनुलग्नक सहित)** महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019.1010 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– **(अनुलग्नक सहित)** सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(स्था0 –0101)–89 / 2019.1010 **पटना, दिनांक** 06-03-2020

प्रतिलिपि :– **(अनुलग्नक सहित)** संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

अनुलग्नक 'क'

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उपमुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उपशीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन :–

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01.01 वेतन	01.04 मकान किराया भत्ता	01.05 परिवहन भत्ता	01.06 चिकित्सा भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	दरभंगा	1020000	59920	16250	25000	**1121170**
2	पटना	1800000	100000	50000	50000	**2000000**
3	बेगूसराय	1170000	20000	10000	35000	**1235000**
4	खगड़िया	1700000	100000	40000	20000	**1860000**
5	नालन्दा	3958080	54291	29742	55789	**4097902**
	कुल योग :–	**9648080**	**334211**	**145992**	**185789**	**10314072**

(एक करोड़ तीन लाख चौदह हजार बहत्तर रूपये मात्र)

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

अनुलग्नक 'ख'

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उपमुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उपशीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में निधि का आवंटन :–

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दुरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	13 10 भाड़े की गाडी का भुगतान	28 02 संविदा सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुपौल	200000	4000	—	—	—	**204000**
2	दरभंगा	200000	—	300000	—	—	**500000**
3	पटना	25000	—	—	—	—	**25000**
4	खगड़िया	—	—	25000	112951	—	**137951**
5	नालन्दा	—	10000	—	21710	1421203	**1452913**
6	शेखपुरा	200000	—	—	—	—	**200000**
	कुल योग :–	**625000**	**14000**	**325000**	**134661**	**1421203**	**2519864**

(पच्चीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ चौसठ रूपया मात्र)

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप